ई–मेल द्वारा/महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी, अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।

पत्रांक :–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/9425 लखनऊ/दिनांक :25/01/2022

विषयः–राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अर्न्तगत समस्त मतदान केन्द्रों को तम्बाकू मुक्त/धूम्रपान मुक्त घोषित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 का प्रभावी अनुपालन कराया जा रहा है।

उक्त के क्रम में प्रदेश में विधान सभा चुनाव होना प्रस्तावित है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश वासियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना सम्भावित है। ऐसे में मतदान केन्द्रों पर मतदाताओ अथवा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा धूम्रपान एवं तम्बाकू उत्पादों का सेवन किया जाना, कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकारी द्वारा जारी गाइडलाइन्स तथा मा0 प्रधानमंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान के प्रतिकूल होगा। चूंकि मतदान केन्द्र सार्वजनिक स्थलों की श्रेणी में आते है, अतः मतदान केन्द्रों पर तम्बाकू उत्पादों का सेवन/धूम्रपान किया जाना आई0पी0सी0 1860 की धारा 268, 269, 278 एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम की धारा–4 का उलंघन है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, (सी0ओ0टी0पी0ए0) 2003 की धारा–4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, जैसे– सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेंट, शासकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, लोक परिवहन, अन्य कार्यस्थल एवं अन्य कार्यालय आदि धूम्रपान निषेध क्षेत्र में आते हैं। उपरोक्त सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र की सूचना लगाया जाना यथा– ''धूम्रपान निषेध क्षेत्र, यहॉ धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है। '' लिखा हुआ 60X30 सेमी0 का साइनेज लगाना अनिवार्य है। (अतः कृपया मतदान केन्द्रों पर अधिनियमानुसार साइनेज लगवाने का कष्ट करें।)

अतः जनस्वास्थ्य हित हेतु आपसे अनुरोध है कि आप प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव में पूर्व की भॉति ही समस्त मतदान केन्द्रों को धूम्रपान–मुक्त क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु संबधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

निदेशक (स्वास्थ्य)
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने पत्र संख्या–1784/सी0ई0ओ0–1–लखनऊ, दिनांक 08 अप्रैल, 2014 (संलग्न) की भांति अपने स्तर से भी उपरोक्तानुसार सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4. स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

(डा0 सुनील पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।

ई–मेल द्वारा/महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी, अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।

पत्रांक :–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/ लखनऊ/दिनांक : 25/01/2022

विषयः–राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अर्न्तगत समस्त मतदान केन्द्रों को तम्बाकू मुक्त/धूम्रपान मुक्त घोषित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जैसा कि आप अवगत है कि प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 का प्रभावी अनुपालन कराया जा रहा है।

उक्त के क्रम में प्रदेश में विधान सभा चुनाव होना प्रस्तावित है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश वासियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना सम्भावित है। ऐसे में मतदान केन्द्रों पर मतदाताओ अथवा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा धूम्रपान एवं तम्बाकू उत्पादों का सेवन किया जाना, कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश सरकारी द्वारा जारी गाइडलाइन्स तथा मा0 प्रधानमंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान के प्रतिकूल होगा। चूंकि मतदान केन्द्र सार्वजनिक स्थलों की श्रेणी में आते है, अतः मतदान केन्द्रों पर तम्बाकू उत्पादों का सेवन/धूम्रपान किया जाना आई0पी0सी0 1860 की धारा 268, 269, 278 एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम की धारा–4 का उलंघन है।

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, (सी0ओ0टी0पी0ए0) 2003 की धारा–4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है, जैसे– सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेंट, शासकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, लोक परिवहन, अन्य कार्यस्थल एवं अन्य कार्यालय आदि धूम्रपान निषेध क्षेत्र में आते हैं। उपरोक्त सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र की सूचना लगाया जाना यथा– ''धूम्रपान निषेध क्षेत्र, यहॉ धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है। '' लिखा हुआ 60X30 सेमी0 का साइनेज लगाना अनिवार्य है। (अतः कृपया मतदान केन्द्रों पर अधिनियमानुसार साइनेज लगवाने का कष्ट करें।)

अतः जनस्वास्थ्य हित हेतु आपसे अनुरोध है कि आप प्रदेश में होने वाले विधान सभा चुनाव में पूर्व की भॉति ही समस्त मतदान केन्द्रों को धूम्रपान–मुक्त क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु संबधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

निदेशक (स्वास्थ्य)
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021–22/9426-30 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने पत्र संख्या–1784/सी0ई0ओ0–1–लखनऊ, दिनांक 08 अप्रैल, 2014 (संलग्न) की भांति अपने स्तर से भी उपरोक्तानुसार सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4. स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

(डा0 सुनील पाण्डेय)
संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी,
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, उ0प्र0।